



(6)

### माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर के न्यायालय में

निगरानी- 5398/2018/खरगोन/स्टाप आ/६१

मेरसर्स भगवान पिता बालुजी पाटीदार

निवासी- ग्राम सुलगांव पोस्ट धरगांव तहसील महेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.)

— प्रार्थीगण

#### विरुद्ध

- 1— म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाप्प एवं जिला पंजीयक, खरगोन (म.प्र.)
- 2— म.प्र. माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल तर्फ  
महाप्रबंधक संचालन म.प्र. माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल (म.प्र.) — प्रतिप्रार्थीगण

*दिनांक 5-9-18 वा*  
*क्रमांक दोल का*  
*अन्वयन करा*  
*पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 56 (4) मो प्र० मुद्रांक अधिनियम 1899*

श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाप्प जिला खरगोन द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/बी-103/33/15-16 में दिनांक 16/06/2017 को पारित आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :-

### न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

#### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5398/2018/खरगोन/स्टापअधि.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.02.2019	<p>प्रकरण में उभयपक्ष को ग्राह्यता एवं समयसीमा पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाप्प के आदेश दिनांक 16.06.2017 की प्रति आवेदक को उसके पते पर भेजी गई है। अभिलेख में भी आवेदक का पत्र लगा है, जिसमें उसने दिनांक 01.08.2017 को आदेश की प्रति प्राप्त की है, जबकि यह निगरानी एक वर्ष से भी अधिक समय बाद दिनांक 05.09.2018 को पेश की है। स्पष्ट है कि समयसीमा में छूट के आवेदन में उल्लेखित तथ्य वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाते। शपथ पत्र भी अहस्ताक्षरित पेश है। अतः निगरानी समय बाह्य होने से निरस्त की जाती है।</p> <p><i>[Signature]</i> (मनोज गोयल)</p> <p>अध्यक्ष</p> <p><i>[Signature]</i></p>	